



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 1225 / रेनुकूट / 15-276 दिनांक, रेनुकूट, अक्टूबर, ०९, 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला(कटोधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के०वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित 16.8912 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षों के पातन की अनुमति दिये जाने के संबंध में ।
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/151920/2022)

संदर्भ:- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/१०९/२०२३/ एफ०सी०/१५७ दिनांक- 31.05.2023
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3837/११-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-02.06.2023
3-इस कार्यालय का पत्रांक- 504/रेनुकूट/१५-२७४ दिनांक- 05.08.2023
4-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-719/मी०क्षे०/३३ दिनांक- 22.08.2023
5-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 479/११-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-24.08.2023
6-इस कार्यालय का पत्रांक- 884/रेनुकूट/१५-२७६ दिनांक-09.09.2023
7-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-1124/मी०क्षे०/३३ दिनांक-20.09.2023
8-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 796/११-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-22.09.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 22.09.2023 में अंकित बिन्दुओं से संबंधित सूचना/अभिलेख निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 796/११-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक- 22.09.2023 में अंकित बिन्दु ।	अनुपालन आख्या
1	2	3



1	संशोधित सी0ए0 स्थल के प्राक्कलन मे अनुरक्षण 9 वर्षों का ही लिया गया है , जो कि अपूर्ण है । अतः 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन धनराशि सहित अपलोड करे तथा Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे संशोधित प्राक्कलन तैयार कराते हुए सी0ए0 की संशोधित धनराशि ऑनलाइन प्रस्ताव मे यथास्थान अपलोड कराते हुए पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन Additional Information Detail से डिलिट कराते हुए संशोधित प्राक्कलन संलग्न है ।
2	प्रस्ताव मे संलग्न औषधीय पौधो के प्राक्कलन मे भी अनुरक्षण के वर्षों मे प्रति वर्ष वृद्धि दर त्रुटिपूर्ण है । अतः सही कर औषधीय पौधो का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन अपलोड करे तथा Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे संशोधित प्राक्कलन तैयार कराते हुए सी0ए0 की संशोधित धनराशि ऑनलाइन प्रस्ताव मे यथास्थान अपलोड कराते हुए Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट कराते हुए संशोधित प्राक्कलन संलग्न है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

1228.

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-796/11-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-22.09.2023 के क्रम मे ।
- 2-अधिशाली अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 220 के0वी0 उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट